आवश्यक शर्ते :–

1. स्पॉन आपूर्तिकर्ता के पास मत्स्य हैचरी होनी चाहिए। स्थानीय मत्स्य हैचरी (विभाग द्वारा अनुदानित दर पर निर्मित) संचालक को समान मूल्य दर पर (प्राथमिकता) दी जायगी।
2. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को अपने मत्स्य हैचरी की संख्या एवं उपलब्ध ब्रुडर का आँकड़ा देना अनिवार्य होगा।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को मत्स्य हैचरी का प्रति चरण स्पॉन उत्पादन क्षमता से अवगत कराना अनिवार्य होगा।
4. आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन में कम से कम 40% कतला होना अनिवार्य होगा।
5. स्पॉन की आपूर्ति पॉलिथिन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय या अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न प्रखण्डों में निर्धारित कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचा कर करना होगा।
6. प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या हैचरी से वितरण स्थल तक की दूरी के अनुसार होगी, जिससे स्पॉन की उतरजीविता बनी रहे। प्रति पॉलिथिन बैग में न्यूनतम 30000 तथा अधिकतम 50,000 (आयतन में 100 ml) स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जायेगी। प्रत्येक खेप स्पॉन आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को कार्यादेश के साथ कलस्टर के अनुरूप प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या का निर्धारण संलग्न कर सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
7. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का विगत तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में मो. 50000/– रू0 (पचास हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा के पदनाम से निर्गत हो जो गोड्डा में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. स्पॉन की आपूर्ति हैचिंग के लगभग 72 घंटे बाद गुणवत्ता आधारित मानको के अनुरूप तय समय सीमा के अन्दर जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचा कर देना होगा, गुणवत्ता के मापदंडो के अनुसार आपुर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. निविदादाता किसी कारणवश स्पॉन आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय निविदादाता को अवसर दिया जाएगा।
11. निविदादाता को स्पॉन का दर (परिवहन एवं पैकेजिंग शूल्क सहित) प्रति लाख की दर से अंकित करना होगा। सफल निविदादाता को स्पॉन आपूर्ति के समय स्वीकृत निविदा राशि का 10% लाभुक (मत्स्य बीज उत्पादक) द्वारा एवं शेष 90% राशि सरकार द्वारा देय होगा।
12. निविदादाता को पैन संख्या एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTIN) की स्वअभिप्रमाणित छाया–प्रति तथा विगत वर्षो का (GSTIN) रिटर्न अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
13. निविदा दिनांक 29.06.2019 के अपराहन 12.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन निविदा 02:30 बजे अपराहन् में खोली जायेगी। आपूर्तिकर्ता स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा में भाग ले सकते है।
14. विगत तीन वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 तक का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. बिना कारण बताए निविदा समिति के पास निविदा रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा।